भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5723

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

विधिक शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़ाने हेतु पहल

5723. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विधिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं का अधिक नामांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि एल.एल.बी.पाठ्यक्रमों में महिलाओं के नामांकन में गिरावट आई है ;

(ख) क्या सरकार का महिलाओं के लिए विधिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु एसटीईएम पाठ्यक्रमों के समान कोई विशेष छात्रवृत्तियां/योजनाएं तैयार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित भारतीय विधिज्ञ परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत में विधिक शिक्षा और विधिक वृत्ति को विनियमित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2024 के महीने में आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा-XIX (एआईबीई-XIX) के लिए कुल 2,36,403 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रीकरण कराया, जिनमें से 82,402 महिला उम्मीदवार थीं, जो कुल परीक्षार्थियों का 34.85% थीं। यह पक्ष-अर्हता परीक्षा प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिर भागीदारी को दर्शाता है और कैरियर के रूप में विधि में निरंतर रुचि को इंगित करता है ।

जबकि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन कोई सांविधिक आरक्षण नहीं है, कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) ने महिलाओं के बीच विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र पहल की है।इनमें महिला उम्मीदवारों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति, फीस रियायतें, छात्रावास सब्सिडी और लिंग समावेशी परिसरों का विकास सम्मिलित है।कुछ सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में, संस्थागत कोटा के अधीन सीमित संख्या में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) की समर्थकारी शक्ति द्वारा सुगम हैं।इसके अतिरिक्त, विधिक शिक्षा के लिए पहुंच और प्रेरणा में सुधार करने के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिला केंद्रित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) : विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) के क्षेत्र में आरंभ की गई महिलाओं के समान विशेष या लक्षित छात्रवृत्ति स्कीमों को विरचित करने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) "भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन के विकास" की स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है।इस स्कीम में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण, अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला अध्ययन

केन्द्रों (डब्ल्यूएससी) की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।वर्तमान में, जबकि उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), शिक्षा मंत्रालय और अन्य राज्य विभागों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, विधि पाठ्यक्रमों में महिलाओं के नामांकन को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से केंद्रित कोई केंद्रीय प्रशासित स्कीम नहीं है ।

****